प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 04 जून, 2025

विषय:- आदर्श कारागार लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पातीराम पुत्र श्री रामचन्द्र, निवासी जनपद-पीलीभीत की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-27404/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-03-09-2024) दिनांक-06-09-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पातीराम पुत्र श्री रामचन्द्र, जो मोहम्मदगंज रम्पुरा, थाना-बरखेडा, जनपद-पीलीभीत का निवासी है। ग्राम प्रधानी के चुनावी रंजिश को लेकर बन्दी ने दिनांक 10.03.2001 को अपने 36 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेंसी बन्दूक, पौनिया, लाठी व बांका से मारकर 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी व 07 व्यक्तियों का घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटीनं0-212/2002, 227/2002 में भा0द0वि0 की धारा-148, 436/149, 307/149, 506, 302/149 व 7 क्रि०ला०अ० एक्ट व 4/25 आयुष अधिनियम में मा० अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस०सी०एस०टी०एक्ट), पीलीभीत के आदेश दिनांक 23.01.2004 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। मा० उच्य न्यायालय के आदेश दिनांक 23.09.2005 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15.01.2024 तक अपरिहार 21 वर्ष, 11 माह, 28 दिन तथा सपरिहार 26 वर्ष, 07 माह, 07 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 30.07.2024 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25 (94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 15 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि० एल० जे० 1471 में मा० उब्वतन न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त जाख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन् अपराध करने में अशक्त न होन बंदी को जेल में आगें निरुद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने, बंदी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा बंदी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि ग्राम प्रधानी के चुनावी रंजिश को लेकर बन्दी द्वारा दिनांक 10.03.2001 को अपने 36 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेंसी बन्दूक, पौनिया, लाठी व बांका से मारकर 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी व 07 व्यक्तियो को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है,

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी पातीराम पुत्र श्री रामचन्द्र को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पातीराम (बन्दी संख्या-15546) पुत्र श्री रामचन्द्र, निवासी जनपद-पीलीभीत को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-526/2025/1435(1)/22-2-2024 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।
2- अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) सं0-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन(क्रिमि0) सं0-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-526/2025/1435/22-2-2024-17(394)/2016

दिनांक: 04 जून, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

आदर्श कारागार लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पातीराम पुत्र श्री रामचन्द्र, जो मोहम्मदगंज रम्पुरा, थाना-बरखेडा, जनपद-पीलीभीत का निवासी है। ग्राम प्रधानी के चुनावी रंजिश को लेकर बन्दी ने दिनांक 10.03.2001 को अपने 36 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेंसी बन्दूक, पौनिया, लाठी व बांका से मारकर 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी व 07 व्यक्तियों का घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटीनं0-212/2002, 227/2002 में भा0द0वि0 की धारा-148, 436/149, 307/149, 506, 302/149 व 7 क्रि०ला०अ० एक्ट व 4/25 आयुष अधिनियम में मा० अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस०सी०एस०टी०एक्ट), पीलीभीत के आदेश दिनांक 23.01.2004 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। मा० उच्य न्यायालय के आदेश दिनांक 23.09.2005 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15.01.2024 तक अपरिहार 21 वर्ष, 11 माह, 28 दिन तथा सपरिहार 26 वर्ष, 07 माह, 07 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 30.07.2024 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25 (94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 15 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि० एल० जे० 1471 में मा० उब्वतन न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त जाख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन् अपराध करने में अशक्त न होन बंदी को जेल में आगें निरुद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने, बंदी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा बंदी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि ग्राम प्रधानी के चुनावी रंजिश को लेकर बन्दी द्वारा दिनांक 10.03.2001 को अपने 36 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेंसी बन्दूक, पौनिया, लाठी व बांका से मारकर 05 व्यक्तियों की हत्या कर दी व 07 व्यक्तियो को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी पातीराम पुत्र श्री रामचन्द्र को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in